संख्या-08 /2022/001-746-2247615/12-5002(002)/2/2022

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 001-निदेशक तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि0/872/अनु0/2022-23, दिनांक 20 सितम्बर, 2022 एवं पत्र संख्या-अभि0/1353/अनु0/2022-23, दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि भवन में कृषकों को कृषि विभाग में संचालित योजनओं के संबंध में विडियो के माध्यम से जानकारी दिये जाने के उद्देश्य से 1000 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर संयोजन, खराब एम0सी0वी0 के स्थान पर 630 एम्पीयर क्षमता की एम0सी0वी0 की पुन: स्थापना एवं प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाले सेमिनार/वर्कशाप आदि के लिए विडियो वाल टी0वी0 की स्थापना आदि कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 001-निदेशक तथा प्रशासन, 03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि रू. 80.00 लाख (रूपया अस्सी लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक/मानक मद	**वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधान**	**प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति**
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय		
001-निदेशन तथा प्रशासन		
03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान		
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	80.00	80.00
योग	**80.00**	**80.00**

(रूपया अस्सी लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया तथा योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

3- उपकरणों/यंत्रों का क्रय जेम पोर्टल से किये जाने के लिए क्रय संबंधी निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवर्यत: सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यक्तानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

6- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व आपका होगा तथा प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व भी आपका होगा।

7- कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

8- प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों/संयंत्रों आदि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। जेम पोर्टल पर दरें उपलब्ध न होने की दशा में ही इनका क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स 2016 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

9- योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स आवश्यक होने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि को ऐसे खाते में रखा जायेगा, जिससे ब्याज अर्जित हो तथा अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

11- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 4401000010300 कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (आडिट/सिविल) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक,(सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
7. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।